



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
 बी-4, कुतुब सारथानिक क्षेत्र,
 नई दिल्ली-110016

क्रमांक: एफ1(01)/ला.ब.शा./प्रशासन-1/2023/142

दिनांक: 12.05.2023

अधिसूचना

विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.05.2023 में आंशिक संशोधन करते हुये विश्वविद्यालय से सभी अध्यापकों से अनुरोध किया जाता है, कि वह वर्ष 2022-23 का अपना वार्षिक स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट (self-appraisal report) भर कर अपने संबंधित विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष को दिनांक 17.07.2023 तक जमा करायें, तथा संबंधित विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अध्यापकों की वार्षिक स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट को संस्तुति/सिफारिश सहित दिनांक 31.07.2023 तक कुलपति कार्यालय को प्रेषित करें।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन- I)

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. समर्त संकायप्रमुख/विभागाध्यक्ष
2. समर्त अध्यापक महानुभाव
3. निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता एवं आश्वासन प्रकोष्ठ
4. संगणक केन्द्र को इस आशय से प्रेषित है, कि वे इस सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें एवं समर्त अध्यापकों को whatsapp के माध्यम से सूचित करें।
5. कुलपति के निजी सचिव
6. कुलसचिव के निजी सचिव
7. जनसम्पर्क अधिकारी
8. कार्यालय आदेश पंजिका
9. सम्बन्धित पत्रावली

सहायक कुलसचिव (प्रशासन- I)

for n.a, pls

Sh. Rohit

Same
12/05/2023



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-14, कुनूब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली - 110 016

(जुलाई 2018 से प्रभावी)

निष्पत्ति आधारित वार्षिक रथमूल्यांकन एवं शैक्षणिक कार्य
निष्पादन संकेतक (API) प्रतिवेदन

[विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के शिक्षकों हेतु आकलन मानदंड और पद्धति - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अधिसूचना - जुलाई 2018 के अनुसार]

शैक्षणिक वर्ष - 20 _____ से 20 _____

1. नाम
2. पिता का नाम
3. संकाय एवं विभाग
4. वर्तमान पद एवं शैक्षणिक ग्रेड पे
5. प्रथम नियुक्ति तिथि एवं पद
6. विगत पदोन्नति की तिथि
7. वर्तमान पता (दूरभाष संख्या एवं ई-मेल)
8. इस वर्ष प्राप्त की गई अंतिरिक्त शैक्षणिक घोषता
9. इस वर्ष किया गया अभिविन्यास / पुनर्व्याप्ति कार्यक्रम

कार्यक्रम का नाम	स्थान	अवधि	आयोजक का नाम

परिशिष्ट - II, तालिका - 1

क्र० सं०	क्रियाकलाप	प्रेडिंग
1.	<p>शिक्षण - पदार्थ, गई कक्षाओं की संख्या / भौमी गई कुल कक्षाएं) $\times 100\%$.</p> <p>(एडार्ड ने कक्षाओं में अनुशोधण, प्रयोगशाला और शिक्षण संबंधी अन्य क्रियाकलाप शामिल है)</p> <p>ट्रेइंग मानदंड -</p> <ul style="list-style-type: none"> • अच्छा - 80 प्रतिशत और अधिक • संतोषजनक - 80 प्रतिशत से कम तक 70 प्रतिशत से अधिक • असंतोषजनक - 70 प्रतिशत से कम 	<p>प्रदत्त कक्षाएं अध्यापित कक्षाएं अध्यापित कक्षाओं का प्रतिशत</p> <p>ट्रेइंग • अच्छा/ संतोषजनक/ असंतोषजनक</p>
2.	<p>विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के स्थान संबंधी क्रियाकलापों / शोध क्रियाकलापों में भागीदारी</p> <p>(क) प्राथासनिव दायित्व जैसे कि भूगिया, अध्यक्ष / भंकाय अध्यक्ष / लिंगियक, भगवन्यक / बाल्लन आदि।</p> <p>(ख) विश्वविद्य नथ / महाविद्यालय द्वारा भौमी हुई परीक्षा और मूल्यांकन उद्योगी अध्यक्ष परीक्षा परीक्षा पर मूल्यांकन हेतु उपचित्त होना।</p> <p>(ग) छात्रों से गंवारित पाठ्यक्रम में जुड़ी, विस्तार और द्वेष आशाद्वारा देखाकलापों जैसे कि विद्यार्थी बलव, कैरियर परामर्श अध्ययन चैर, छात्र भौमीषी और अन्य क्रियाकलाप, सम्झौतेक, खेलकूट, एन.सी.सी., एन.एम.एस., और चारों सेवा।</p> <p>(घ) भौमीषीयों / भार्यान / भार्यानामांग / अन्य विश्वविद्यालय / महाविद्यालय गंवार्धी क्रियाकलापों का प्रयोगना।</p> <p>(इ) पी.एच.डी. छात्रों का भागीदारी प्रदान करने में भागिय भागीदारी के साक्षय।</p> <p>(ख) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंजीमियों द्वारा प्रायोगित लघु और दृष्टि अनुसंधान घटि योजनाओं का आरोजना।</p> <p>(छ) समकल उक्ति की सभी क्षेत्र अध्यक्ष विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित रूपी के रूप में कम से कम एक एकल या विशुल प्रकारान्वा।</p>	<p>क्रियाकलापों के विवरण</p>

	<p>ग्रेडिंग मानदण्ड -</p> <ul style="list-style-type: none"> • अच्छा - कम से कम 3 क्रियाकलापों में भारीदारी • संतोषजनक - 1 से 2 क्रियाकलाप • असंतोषजनक - किसी भी क्रियाकलाप में भाग नहीं लेना / कोई भी क्रियाकलाप नहीं करना <p>ध्यातव्य - क्रियाकलापों की संख्या क्रियाकलापों की बहुद शैली के अन्तर्गत था सभी शैलियों को मिलाकर हो सकती है।</p>	<p>कुल क्रियाकलापों की संख्या -</p> <p>ग्रेडिंग -</p> <ul style="list-style-type: none"> • अच्छा / संतोषजनक / असंतोषजनक
समग्र ग्रेडिंग	<ul style="list-style-type: none"> • अच्छा - शिक्षण में अच्छा और क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित क्रियाकलापों में संतोषजनक या अच्छा हो। • संतोषजनक - शिक्षण में संतोषजनक और क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित क्रियाकलापों में अच्छा या संतोषजनक। • असंतोषजनक - यदि समग्र ग्रेडिंग में न तो अच्छा हो और न ही संतोषजनक हो। 	<p>समग्र ग्रेडिंग-</p> <ul style="list-style-type: none"> • अच्छा / संतोषजनक / असंतोषजनक

ध्यातव्य - क्रम संख्या 1 और 2, में दिये गए क्रियाकलापों की ग्रेडिंग के आकलन के प्रयोजन हेतु, ऐसी सभी अवधियाँ जो शिक्षकों द्वारा मातृत्व अवधारणा, बाल परिचयी अवधारणा, अध्ययन छुट्टी, चिकित्सा छुट्टी जैसी विभिन्न प्रकार की वैतनिक छुट्टियों पर व्यतीत की गई हैं और ग्रेडिंग आकलन में से प्रतिनियुक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। शिक्षक का शेष अवधि के लिए आकलन किया जाएगा और शिक्षक की ग्रेडिंग करने के लिए आकलन की सम्पूर्ण अवधि में से इन अवधियों को हटा दिया जाएगा। उपरोक्त वर्णित ऐसी छुट्टियों / प्रतिनियुक्ति के कारण शिक्षक को सी.ए.एस. के अंतर्गत प्रोत्रति में शिक्षण दायित्वों से उनकी अनुपस्थिति के कारण कोई नुकसान नहीं होगा। बशर्ते ऐसी छुट्टियाँ / प्रतिनियुक्ति इन विनियमों में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करके सक्षम अधिकारियों के पूर्व-अनुमोदन से और मूल संस्थान के अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों के अनुसार ली गई हों।

'सी.ए.एस.' प्रोन्ट्रति मानदण्ड		
अकादमिक स्तर 10 से 11 (ए.जी.पी. 6000 से 7000)	<p>शोधता</p> <p>(क) एक सहायक आचार्य जिसने पी.एच.डी. की उपाधि के साथ सेवा में चार वर्ष पूरे किए हो अथवा पेशेवर पाठ्यक्रम जैसे एल.एल.एम., एम.टेक., एम.बी.एस.सी. और एम.डी. में एम.फिल / स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ सेवा में पाँच वर्ष अथवा पेशेवर पाठ्यक्रम में पी.एच.डी. / एम.फिल. / स्नातकोत्तर की उपाधि के बिना सेवा में छह वर्ष पूरे किए हों और निम्न लिखित शर्तों को पूरी करता हो।</p> <p>(घ) शिक्षण कार्यविधि पर 21 दिन की अवधि के एक प्रयोग्यन पाठ्यक्रम में भाग किया हो।</p> <p>(ग) इनमें से कोई एक विद्या हो - मूल्यांकन अवधि के दौरान कम से कम साताह (5 दिन) की अवधि का पुनर्जार्या पाठ्यक्रम / शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम / कार्यशाला / पाठ्यचयर्या उन्नयन कार्यशाला / प्रशिक्षण शिक्षण - ज्ञान अर्जन - मूल्यांकन, प्रौद्योगिकी कार्यक्रम / संकाय विकास कार्यक्रम पूरा किया हो अथवा एक एम.ओ.ओ.सी. पाठ्यक्रम (ई-प्रमाणन के साथ) पूरा किया हो अथवा चार चतुर्थांश में ई-विषयवस्तु के विकास / एम.ओ.ओ.सी. पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और</p> <p>(घ) मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि.आ.आ. सूचीबद्ध जर्नलों में एक शोध प्रकाशन प्रकाशित हुआ हो।</p> <p>मानदण्ड</p> <p>(क) जैसा कि परिणिष्ट - तालिका - 1 में विविदिष्ट है, मूल्यांकन अवधि के पिछले चार / पाँच / छह वर्षों में से कम से कम तीन / चार / पाँच,</p> <p>इनमें से जो भी लागू हो, वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' घोषणा हुए हों।</p> <p>(घ) प्रोन्ट्रति की सिफारिश द्वानवीन - सह - मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।</p>	

अकादमिक स्तर 11 से 12
(ए.जी.पी. 7000 से 8000)

योग्यता

- (क) ऐसे सहायता आवार्य जिन्होंने अकादमिक स्तर 11 / वरिष्ठ वेतनमान में पौँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
- (ख) संगत / संबद्ध विषय में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की हो।
- (ग) अकादमिक स्तर - 11 / वरिष्ठ वेतनमान के पिछले पौँच वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से कोई दो किए हो - मूल्यांकन की अवधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह (10 दिन) की अवधि (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिनों) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम / कार्यक्रम के स्थान पर कम ते कम एक सप्ताह (पाँच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों) के पुनर्वर्या पाठ्यक्रम / शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम / पर कम ते कम एक सप्ताह (पाँच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों) के पुनर्वर्या पाठ्यक्रम / शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम कार्यशालाओं / पाठ्यवर्या उन्नयन कार्यशाला / शिक्षण - ज्ञान अर्जन - मूल्यांकन / प्रौद्योगिकी कार्यक्रम / संकाय विकास कार्यक्रम / पाठ्यक्रम पूर्ण किए हो; अथवा संगत विषय में (ई-प्रवाणन) सहित एम.ओ.ओ.सी. पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; एक पाठ्यक्रम के कम से कम 10 माहूल के पूर्ण किए हो; अथवा संगत विषय में (ई-प्रवाणन) सहित एम.ओ.ओ.सी. पाठ्यक्रम संचालित करने में योगदान दिया हो / एम.ओ.ओ.सी. पाठ्यक्रम संचालित करने में योगदान दिया हो।
- (घ) मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि.अ.आ. सूचीबद्ध जर्नलों में तीन शोध पत्र प्रकाशित हुए हो।

मानदण्ड

- (क) मूल्यांकन अवधि के दौरान पिछले पौँच वर्षों में से कम से कम चार वर्षों के दौरान शिक्षक को वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'सन्तोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों (जैसा कि परिशिष्ट - II तालिका - 1 में दिनरिट है)।
- (ख) प्रोफ्रेस विकास की सिफारिश द्वारा दी गई हो।

अकादमिक स्तर 12 से 13
(ए.जी.पी. 8000 से 9000)

योग्यता

- (क) ऐसे सहायक आवार्य जिन्होंने अकादमिक स्तर 12 / वर्यन ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण की हो।
- (ख) संगत / संबद्ध विषय में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त हो।
- (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से कोई एक कार्यक्रम / पाठ्यक्रम पूर्ण किए हो - मूल्यांकन की अवधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह (10 दिन) की अवधि (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिनों) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम / कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पाँच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों) के पुनर्वर्या पाठ्यक्रम / कार्यविधि कार्यशाला / पाठ्यवर्या उन्नयन कम एक सप्ताह (पाँच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों) के पुनर्वर्या पाठ्यक्रम / कार्यशाला / पाठ्यक्रम कम से कम 10 माहूल के 4 चतुर्थांश (कम से कम एक चतुर्थांश) में ई-विषयवस्तु के विकास में योगदान दिया हो / एम.ओ.ओ.सी. पाठ्यक्रम कम से कम एक सप्ताह (पाँच दिन) के विकास में योगदान दिया हो।
- (घ) मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि.अ.आ. सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम सात प्रकाशन हुए हों जिसमें तीन शोधपत्रमूल्यांकन अवधि के दौरान प्रकाशित हुए हो।
- (घ) कम से कम एक पी.एच.डी. अभ्यर्थी का मार्गदर्शन करने के साथ हो।

मानदण्ड

- (क) जैसा कि परिशिष्ट - II तालिका - 1 में विहित है, मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'सन्तोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों; और जैसा कि परिशिष्ट - II तालिका - 2 में विहित है, कम से कम 70 शोध अइक प्राप्त किए हो।
- (ख) इन विनियमों के अनुसार गठित वर्यन समिति द्वारा प्रोफ्रेस विकास की सिफारिश की गई हो।

अकादमिक स्तर 13 के से 14
(ए.जी.पी. 9000 से 10000)

योग्यता

- (क) ऐसे सहायक आवार्य जिन्होंने अकादमिक स्तर 13 के में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
- (ख) संवृद्धि / संबद्ध / संगत विषय में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की हो।
- (ग) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि.अ.आ. सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम दस शोध प्रकाशन किए हों जिसमें से तीन शोधपत्र मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रकाशित हुए हो।
- (घ) पी.एच.डी. अभ्यर्थियों वा सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने के साथ हो।

मानदण्ड

- (क) जैसा कि परिशिष्ट - II तालिका - 1 में विहित है, शिक्षक को मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'सन्तोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों तथा परिशिष्ट - II तालिका - 2 में विहित है, कम से कम 110 शोध अइक प्राप्त किए हों।
- (ख) इन विनियमों के अनुसार गठित वर्यन समिति द्वारा प्रोफ्रेस विकास की सिफारिश की गई हो।

अकादमिक स्तर 14 से 15

योग्यता

- (क) आवार्य के पद पर दस वर्ष का अनुभव।
- (ख) समवक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि.अ.आ. सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम दस शोध प्रकाशन किए हों तथा मूल्यांकन अवधि के दौरान उनके पर्यवेक्षण में दो अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक पी.एच.डी. की उपाधि प्रदान की गई हो।

शैक्षणिक / शोध कंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यप्रणाली -

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत सांख्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसे - प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रभाण पत्र, पेटेट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएच.डी. उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि)

क्र० सं०	शोध, प्रकाशन एवं शैक्षणिक योगदान	भाषा / मानविकी / कला / सामाजिक विज्ञान / पुस्तकालय / शिक्षा / शारीरिक शिक्षा / वाणिज्य / प्रबन्धन तथा अन्य संबंधित विधाएं	प्राप्ताइक
1.	समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र	10 प्रति पत्र	
2.	प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त) (क) लिखी गई पुस्तकें, जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया - 1. अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक 12 2. राष्ट्रीय प्रकाशक 10 3. सम्पादित पुस्तक में अध्याय 05 4. अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का सम्पादन 10 5. राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का सम्पादन 08 (ख) योग्य सङ्काय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य - 1. अध्याय अथवा शोध पत्र 03 2. पुस्तक 08 (ग) आई.सी.टी. के माध्यम से शिक्षण ज्ञानार्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सूजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्चा का विकास (क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास 05 (ख) नई पाठ्यचर्चा और पाठ्यक्रमों को तैयार करना 02 प्रति पाठ्यचर्चा / पाठ्यक्रम (ग) एम.ओ.ओ.सी. 1. चार चतुर्थांश में पूर्ण एम.ओ.ओ.सी. का विकास (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एम.ओ.ओ.सी. के मामले में 05 अड्क / क्रेडिट) 20 2. प्रति माड्यूल / व्याख्यान एम.ओ.ओ.सी. (चार चतुर्थांश में विकसित) 05 3. विषयवस्तु लेखक / एम.ओ.ओ.सी. के प्रत्येक माड्यूल हेतु विषयवस्तु विशेषज्ञ (कम से कम एक चतुर्थांश) 02 4. एम.ओ.ओ.सी. हेतु पाठ्यक्रम समन्वयक (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एम.ओ.ओ.सी. के मामले में 02 अड्क / क्रेडिट) 08 (घ) ई-विषयवस्तु 1. पूर्ण पाठ्यक्रम / ई-पुस्तक हेतु चार चतुर्थांश में ई-विषयवस्तु का विकास 12 2. प्रति माड्यूल ई-विषयवस्तु (चार चतुर्थांश में विकसित) 05 3. समग्र पाठ्यक्रम / पत्र / ई-पुस्तक में ई-विषयवस्तु माड्यूल के विकास में योगदान (कम से कम एक चतुर्थांश) 02 4. सम्पूर्ण पाठ्यक्रम / पत्र / ई-पुस्तक हेतु ई-विषयवस्तु का सम्पादन 10		

4.	शोध किया कलाप		
	(क) शोध मार्गदर्शन		
	1. पीएचडी.	10 प्रति प्रदान की गई उपाधि 05 प्रति जमा किए गए शोध प्रबन्ध	
	2. एमफिल / सातके तर शोध प्रबन्ध	02 प्रति प्रदान की गई उपाधि	
	(ख) पूरी की गई शोध परियोजनाएं		
	1. 10 लाख से अधिक	10	
	2. 10 लाख से कम	05	
	(ग) जारी शोध परियोजनाएं		
	1. 10 लाख से अधिक	05	
	2. 10 लाख से कम	02	
	(घ) परामर्शदात्री सेवाएं	03	
5.			
	(क) पेटेट		
	1. अन्तर्राष्ट्रीय	10	
	2. राष्ट्रीय	07	
	(छ) नीतिगत दस्तावेज (सं. रा. सं. / यूनेस्को / विश्व बैंक / अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार जैसी किसी अन्तर्राष्ट्रीय निकाय / संगठन को संपै गए)		
	1. अन्तर्राष्ट्रीय	10	
	2. राष्ट्रीय	07	
	3. राज्य	04	
	(ग) पुरस्कार / अध्येतावृत्ति		
	1. अन्तर्राष्ट्रीय	07	
	2. राष्ट्रीय	05	
6.	*अतिथि व्याख्यान / संसाधक / संगोष्ठियों / सम्मेलनों में पत्र प्रस्तुतीकरण / सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र प्रस्तुत करना (संगोष्ठियों / सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए पत्र और सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र के रूप में प्रकाशित पत्रों की गणना सिर्फ एक बार की जाएगी)		
	1. अन्तर्राष्ट्रीय (विदेश)	07	
	2. अन्तर्राष्ट्रीय (देश के भीतर)	05	
	3. राष्ट्रीय	03	
	4. राज्य / विश्वविद्यालय	02	

सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा फिल्मविद्यालय अनुदान आगे द्वारा सूचीबद्ध जर्नल (थॉमसन रॉयटर्स की सूची के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले प्रभाव कारक) -

i.	प्रभाव कारक राहित हस्ताभित जर्नल में प्रकाशित व्र -	05 अड्डक
ii.	1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र -	10 अड्डक
iii.	1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र -	15 अड्डक
iv.	2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र -	20 अड्डक
v.	5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र -	25 अड्डक
vi.	10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र -	30 अड्डक

(क) दो लेखक - प्रत्येक लेखन हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत

(छ) दो से अधिक लेखक - प्रथम / मूल / संवादी लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत और प्रत्येक संयुक्त लेखकों हेतु प्रकाशन के कुल मान का 30 प्रतिशत

संयुक्त परियोजनायें - मूल शोधकर्ता और सह शोधकर्ता में प्रत्येक को 50 प्रतिशत होगा।

ध्यातव्य -

- यदि सम्पादित पुस्तक अथवा कार्यवाहियों के भागों रूप में पञ्च प्रस्तुत किया जाता है तो इस पर एक बार ही दावा किया जा सकता है।
- शोध विद्यार्थियों के संयुक्त पर्यवेक्षण के लिये पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक हेतु सूत्र, कुल प्राप्तांक का 70 प्रतिशत होगा। पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षक दोनों में से प्रत्येक को 7 अंक मिलेंगे।
- शिक्षक के शोध अंकों की गणना करने के लिए प्रयोजार्थ 5 (छ), नीतिगत दस्तावेज और 6 की श्रेणियों में से संयुक्त शोध अंक, आमन्त्रित व्याख्याता / संसाधक / पत्र प्रस्तुतीकरण संबंधित शिक्षक के कुल शोध अंकों के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत की ऊपरी सीमा होगी।
- शोध प्राप्तांक 6 श्रेणियों में से कम से कम तीन श्रेणियों से होंगे।

API अंक का सारांश :

श्रेणी संख्या	श्रेणी का नाम	पूल्पकित वर्ष की प्रेडिंग / API अंक
I	शिक्षण सम्बन्धित क्रियाकलाप	
II	छात्र/ शोध सम्बन्धित क्रियाकलाप	
III	शोध, प्रकाशन एवं शैक्षणिक योगदान	

अन्य रूचनाये

क्रम सं.	जन्म दिनांक	विवरण

उपर्युक्त सभी सूचनाएं मेरे संज्ञान में सत्य हैं और उनके समर्थन में आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न सूची में दिया जा रहा है।

संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची :-

अध्यापक का नाम :

पुस्तकालय :
पुस्तकालय नं. :

हस्ताक्षर :

दिनांक :

विभागाध्यक्ष द्वारा मूल्यांकन

(प्रतिवेदन मूल्यांकन वर्ष :)

1. अध्यापक का नाम एवं पद
2. अध्यापक की सहभागिता एवं समर्पण
3. अध्यापन की योजना क्षमता और अध्यापन कौशल
4. सत्यनिष्ठता
5. अनुशासनात्मक कार्यवाही /
चेतावनी (मूल्यांकित वर्ष में यदि कोई हो)
6. समय-निष्ठता
7. अतिरिक्त क्रियाकलापों में सहभागिता :-
(अ) विभागीय प्रशासकीय क्रियाकलापों में सहभागिता
(ब) विभागीय अध्ययन मण्डल एवं शोध समीक्षा समिति में सहभागिता
(स) शिक्षणेत्र गतिविधियों में सहभागिता
(द) अन्य क्रिया कलापों में सहभागिता (विवरण सहित)
8. वार्षिक ग्रेडिंग / एपीआई का श्रेणीवार तथ्यसंगत मूल्यांकन

श्रेणी संख्या	श्रेणी का नाम	मूल्यांकित ग्रेडिंग / अंक	सहमत / असहमत (असहमति प्रमाण सहित स्पष्टीकरण)
I	शिक्षण संबंधी क्रियाकलाप ग्रेडिंग -	(1)	(1) सहमत / असहमत
II	छात्र / शोध संबंधित क्रियाकलाप कुल क्रियाकलापों की संख्या ग्रेडिंग	(1) (2)	(1) सहमत / असहमत (2) सहमत / असहमत
III	शोध, प्रकाशन एवं शैक्षणिक योगदान	(1) ----- अंक (2) ----- अंक (3) ----- अंक (4) ----- अंक (5) ----- अंक (6) ----- अंक	(1) सहमत / असहमत (2) सहमत / असहमत (3) सहमत / असहमत (4) सहमत / असहमत (5) सहमत / असहमत (6) सहमत / असहमत
	श्रेणी- III कुल API अंक अंक	सहमत / असहमत

यदि असहमत हैं तो श्रेणी संख्या :

प्रमाण सहित स्पष्टीकरण :

मुहर :

हस्ताक्षर :

नाम व पदनाम :

विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्ति तिथि :

तिथि :

संकाय प्रमुख द्वारा मूल्यांकन

(प्रतिवेदन मूल्यांकन वर्ष :)

1. अध्यापक का नाम एवं नद
2. नियुक्ति तिथि
3. आदेक के स्व मूल्यांकन की टिप्पणी में किसी विशेष बिन्दु पर प्रतिकूल टिप्पणी यदि कोई हो, तो
4. विभागाध्यक्ष द्वारा किये एवं नूत्नांकन पर विशेष टिप्पणी
5. मूल्यांकन सारांश
 - क. अध्यापक के कार्यों के विषय में :-
 - ख. अध्यापक के चरित्र ले विषय में :-
6. अन्य कोई टिप्पणी

6. वार्षिक एपीआई का ऐपीआई तथा संगत मूल्यांकन

श्रेणी संख्या	श्रेणी का नाम	मूल्यांकित ग्रेडिंग / अंक	सहमत / असहमत (असहमति प्रमाण सहित स्पष्टीकरण)
I	शिक्षण संबंधी क्रियाकलाप ग्रेडिंग	(1)----- ग्रेडिंग	(1) सहमत / असहमत
II.	श्रेणी— ग्रेडिंग छात्र/रोड संबंधीत क्रियाकलाप कुल क्रियाकलापों ली संख्या ग्रेडिंग	(1)----- (2)----- ग्रेडिंग	(1) सहमत / असहमत (2) सहमत / असहमत
III	श्रेणी— II ग्रेडिंग शोध, प्रकाशन एवं वैज्ञानिक योगदान	(1)----- अंक (2)----- अंक (3)----- अंक (4)----- अंक (5)----- अंक (6)----- अंक ग्रेडिंग	(1) सहमत / असहमत (2) सहमत / असहमत (3) सहमत / असहमत (4) सहमत / असहमत (5) सहमत / असहमत (6) सहमत / असहमत
	श्रेणी— III कुल API अंक	----- अंक	सहमत / असहमत

यदि असहमत हैं, तो श्रेणी नंख्या

प्रमाण सहित स्पष्टीकरण :

हस्ताक्षर :

नाम व पदनाम :

संकायाध्यक्ष पद पर नियुक्ति तिथि :

कुलपति महोदय की स्वीकृति / अस्वीकृति

कुलपति